राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली सरकार

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति शाखा)

व्यापार भवन,आई.पी.इस्टेट,नई दिल्ली

विधान सभा प्रश्न संख्या 135 (अतारांकित)

दिनांक – 09–08–2017

प्रश्नकर्ता : राजेश गुप्ता

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अतारंकित प्रश्न संख्या 135 भाग द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर –

प्रश्न	उत्तर
(क) फूल झाडू,तिला झाडू,नारीयल झाडू पर टेक्स किस प्रकार का हैं;	फूल बहारी झाडू जी0एस0टी से छूट प्राप्त सूची में शामिल हैं । इस प्रश्न का उत्तर तैयार करते समय तक ब्रुमस्टीक पर 5% जी0एस0टी की दर तय की गयी हैं ।
(ख)क्या यह सत्य हैं कि स्टील के बरतन जैसे कि चमच्च और कढाई पर जी0एस0टी की दर अलग अलग हैं जब कि ये एक ही दोनों एक साथ एक ही पेकिंग में आते हैं;	जी नहीं । रसोई तथा अन्य घरेलू स्टील बरतन जिसमे चम्मच कांटे भी शामिल हैं, इन सभी पर जी0एस0टी की एक ही दर, 12 % तय की गई हैं ।
(ग) क्या इस पर दिल्ली सरकार ने कोई विरोध जी0एस0टी कॉन्सील में रखा है;	
(घ) क्या यह भी सत्य हैं कि पूर्व में टेक्स मुक्त कपडे. और जूतों पर भी जी0एस0टी लगाया गया हैं ;	500 रूपये और उससे कम के मूल्य के जूतों पर 5% जी0एस0टी की दर है तथा उससे उपर के मूल्य के जूतों पर 18% जी0एस0टी की दर तय की गयी हैं । कपडे(Fabric) पर 5% जी0एस0टी की दर तय की गयी है। इससे पूर्व, वैट के तहत, जूते जिनका अधिकतम खुदरा मुल्य 500 रूपये से कम था, वह कर से मुक्त थे इसके अलावा अन्य जूतों पर 5 प्रतिशत कर निर्धारित था । कपडे (Fabric) वैट के तहत कर से मुक्त थे ।
(ड.)(च.). यदि हा तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही हैं और यदि हा तो उसका विवरण क्या हैं ;	इस संबंध में विभाग के पास ज्ञापन प्राप्त हुए है जिन्हे जी0एस0टी कॉन्सिल को अनुशंसा के साथ अग्रेषित कर दिया गया है ।
(छ.) सरकारी सिविल वर्क कॉट्रेक्टर पर जी0एस0टी किस दर से और कब से लगाया जायेगा ठेका लेते समय और या भुगतान के समय ?	सरकारी सिविल वर्क कॉन्टैक्ट पर 18% की दर से जी0एस0टी लगेगा ओर यह दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर एक्ट 2017 सेक्शन 13 के अनुसार बीजक के जारी होने पर या पेमेंट प्राप्ति पर, जो पहले है,उस पर तय दर से लगाया जायगा ।

(Rukmish)
SM, Coml (GST)

RAJESH MISHRA, IAS
Special Commissioner
Deptt. of Trade & Taxes
Govt. of NCT of Delhi
Vyapar Bhawan, New D...